

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

बीमती झाडा बनाम जतीष
128 UR 100

ही अन्तर्गत

प्राथमिक पत्र

नं.

15

सन्

2021

मुकदमा

(2021/31)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14/3 2022	<p>प्राथमिक पत्र की अधिवक्ता जतीष द्वारा दिये गये। ले 6 एवं 7 में 12 अनुयायी जुआज लगाव है गई अपान्ति नहीं हुए। इसके विरुद्ध एक पक्षीय धारणा ही के आरोप रिज जाते हैं। प्रमाण 022 R प जा. री. पा कहा अधिवक्ता जतीष (जतीष जतीष) प्राथमिक खीका किता जाका दिये गये। ठीक नाम तक फिर जाने के आरोप रिज जाते हैं। वह प्राथमिक पत्र द्वारा 128 UR 100 (जतीष जतीष) हमारे प्राथमिक वा अवलोकन किता से पक्ष अधिवक्ता जतीष वा गहता ले प्रकत किता प्राथमिक जतीष खेतारी भूमि की पत्थरगदी करण चाहते हैं। किता प्राथमिक वा जतीष पत्र खीका किता जाका ग्राम सेती तहसील चित्तौड़गढ़ (किता आराजी परखा 2314/11,33 रकबा 0.5000 हे भूमि की बिना किता के कब्जे में दखलनाजी रिज अदालत मध्ये अनुयायी पत्थरगदी फिर जाने के आरोप रिज जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 8000/- किता आठ के रूप प्राथमिक वहन करेगी। पालना तहसील वा चित्तौड़गढ़ की किता जतीष किता प्राथमिक को लिखित सूचना देना किता प्राथमिक पत्थरगदी की जावे एवं पालना रिपोर्ट प्राथमिक से प्रस्तुत करे। प्राथमिक किता शुभा खीका नम्बर से करे।</p>	

(संजय सुन्दर सिन्हा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)